न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/328 दायर दिनांक 04.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रणजीत बलारा पुत्र हीरसिंह बलारा, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. भंवरलाल पुत्र गोपीराम, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 2. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. वादी उपस्थित।

—:: निर्णय ::— दिनांक 12.05.2017

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 348 रकबा 12.02 बीघा वाके दौलतपुरा स्थित है, जिसकी 1/2 हिंस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 के व 1/2 हिंस्से की खातेदारी किरन कुमावत के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खेत खसरा संख्या 348 रकबा 12.02 बीघा में से 2 बीस्वा 1 बिस्वास भूमि का एक निम्न नाप व पाड़ौस का प्लॉट संख्या 10 वादी ने प्रतिवादी भंवरलाल से 162000/रूपयों में दिनॉक 26.10.2016 को जरिये रजिस्ट्री क्रय कर मौवे पर कब्जा संभाल लिया। जिसके पड़ौस इस प्रकार है :— उत्तर में किरण कुमावत की भूमि, दक्षिण में :— भुखण्ड संख्या 09 की भूमि, पूर्व में :— भूखण्ड संख्या 11 की भूमि, पश्चिम में :— रास्ता 20 फुट चौड़ा व निकाल पैसार इसे वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है। तथा खेत का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से व वादी के नाम से क्रय सुदा व कब्जा सुद भूमि की खातेदारी नहीं होने से सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में बड़ी परेशानी होती है। तथा वादी, प्रतिवादी नम्बर 01 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वादी के क्रय सुदा कब्जा सुद व बंट की भूमि में किसी प्रकार का दखल नहीं करें। वादी, प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 रणजीत बलारा का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श –2, सम्पूर्ण भूमि के नक्शा की नकल प्रदर्श –3, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श –4 पेश किये।

वादी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी ने नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः नजरीनक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद दोलतपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 348 रकबा 12.02 बीघा भूमि में से वादी की क्रयसुदा व कब्जा सुद 2 बिस्वा 1 बिस्वासी भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 12.05.2018 को न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प पावा में सुनाया गया।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/328 दायर दिनांक 04.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रणजीत बलारा पुत्र हीरसिंह बलारा, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. भंवरलाल पुत्र गोपीराम, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 2. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक :– 12.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा दौलतपुरा पटवार क्षैत्र दौलतपुरा भू– निरीक्षक क्षैत्र दौलतपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके दौलतपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 348 रकबा 12.02 बीघा, भूमि में से वादी की क्रयसुदा व कब्जा सुद 2 बिस्वा 1 बिस्वासी भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.05.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner